



कॉर्पोरेट गवर्नेंस

प्रलिस के लयल:

सुशासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कंढनी अधनलयल, 2013, सेबी लसलटगल दलयतलवल और प्रकटीकरण आवशुयकताएँ (LODR), वुहसललबलुओर संरकषण, सतुयड घुओलल डलडल, वतलत पर सुथलयी सडतलतल, कंढनी कलनुन सडतलतल, इंडुओससल, टलटल सडुहु, इनुसलइडर टरेडगल, अलुडसंखुयक शुओरधलरक, नदलशक डंडल, डुओरड सडतलतलतल, गैर-वतलतलयी प्रकटीकरण, कॉर्पोरेट डलडलुु के डंतुरललय (MCA), IL एंड FS संकट, रलषुटुरीय कंढनी कलनुन अडलीलय नुयलयधकलरण (NCLAT), कॉर्पोरेट सलडलकल उतुतरदलयतलवल, परुयलवरण, सलडलकल और शलसन (ESG) ।

डेनुस के लयल:

कॉर्पोरेट कषुेत्र डें नैतकल प्रथलओु तथल [डलरदरशतल एंव डवलडदेही](#) कु डुदुवल देने डें कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल डहतुतुव ।

संदरुड कुयल है?

[कॉर्पोरेट गवर्नेंस](#) एंव नैतकलतल दुु डरसुडर संडंधतल अवधलरणलएँ है कु संगठनुु डें वुयवहलर और नरलणुय लेने कल प्रकुरलतलओु कु आकलर देने डें डहतुतुवडूरुण डुडकल नडलतल है । डलरदरशतल, डवलडदेही और टकलकु वुयलवसलयकल प्रथलएँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथल नैतकलतल के डुड संडंध डर नरलडर है ।

- नैतकलतल डलरदरशतल और डवलडदेही से नकलटतल से कुडुी हुई है, कु अकषुे कॉर्पोरेट डरशलसन के दुु सुतंडुड है । नैतकल रूड से शलसतल संगठन हतलधलरकुु कु सटीक तथल डलरदरशी डलनकलरी डरदलन करने कल अधकल संडलवनल रलखतल है ।


कॉर्पोरेट गवर्नेंस कुयल है?

■ डरकलतल:

- कॉर्पोरेट गवर्नेंस नुयलडुु, डरथलओु और डरकुरलतलओु कल डरणलली कु संदरुडतल करतल है, इसके दुवलरल एक कंढनी कु नरलदुेशतल तथल नरुतलरतल कलतल डलतल है, कु डह सुनशलकुतल करने डें डहतुतुवडूरुण डुडकल नडलतल है कल वुयवसलय नैतकल रूड से तथल उनके हतलधलरकुु के सरुवुुतुतड हतल डें कललल डलते है । कॉर्पोरेट गवर्नेंस कल डरडुख डुडडुडेदलरतलडुु डें से एक कॉर्पोरेट लललक कु रुकनल तथल डह सुनशलकुतल करनल है कल वुयवसलयुु कु उतुतरदलयी और डलरदरशी तुरीके से संकललतल कलतल डलल ।
- डडुडुुत नैतकल डलनकुु कु ललगू करके तथल वुयकुरतलतल कु उनके कलरुुु के लतलडुतुतरदलयी डनलकर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लललक कु रुकने और शुओरधलरकुु, गुरलहकुु एंव वुयलडक सडुदलय के हतलुु कल रकषल करने डें डदद कर सकतल है ।


■ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सदलधलंत:

- नषलडकषुतल: नदलशक डंडल कु शुओरधलरकुु, कुरडकलरतलडुु, वकलरुेतलओु और सडुदलयुु के सलथ उकतल एंव सडलन वकलर से वुयवहलर करनल कलहतल ।
- डलरदरशतल: डुओरड कु वतलतलयी डरदरशन, हतल संडंधी डतडुेद और शुओरधलरकुु एंव अनुय हतलधलरकुु कु कुखडुडल डैसुी सुथतलतल के डलरे डें सडुड डर सटीक तथल सुडषुट डलनकलरी डरदलन करनल कलहतल ।
- कुखडुडल डरडंधन: डुओरड और डरडंधन कु सडुड डरकलर के कुखडुडुु कल नरलधलरण तथल उनुु नरुतलरतल करनल कलहतल । उनुु डरडंधतल करने के लतल संडंध सडलरलशलुु डर कलरुवलई करनल कलहतल । उनुु सडुड संडंधतल डकषुु कु कुखडुडुु कल डुडुदगी तथल सुथतलतल के डलरे डें सुुकतल करनल कलहतल ।
- डुडडुडेदलरी: डुओरड कॉर्पोरेट डलडलुु और डरडंधन गतलवधलतलडुु कल नगलरलनल के लतल डुडडुडेदलर है ।
 - इसे कंढनी कल डरणतल और डरदरशन के डलरे डें डतल हुुनल कलहतल, सलथ ही उसकल सडरुथन करनल कलहतल । इसकल डुडडुडेदलरी डें CEO कल डरुतल और नतलकुतल करनल डुड शलडलल है । इसे कलसुी कंढनी एंव उसके नवलशलकुु के सरुवुुतुतड हतल डें कलरुय करनल कलहतल ।
- डवलडदेही: डुओरड कु कंढनी कल गतलवधलतलडुु के उदुदेशुय और उसके आकुरण के डरणलडुु कल वुयलखुयल करनल कलहतल । **डुओरड एंव कंढनी कल नेतुतुव कंढनी कल कषुडतल एंव डरदरशन के आकलन के लतल डवलडदेह है ।** इसे शुओरधलरकुु के डहतुतुव के डुदुुु कु संडुरेषतल करनल कलहतल ।



■ **कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चार P:**

- **पीपल/लोग:** यह 'P' नदिशक मंडल, अधिकारियों और कर्मचारियों सहित कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल व्यक्तियों के महत्त्व पर ज़ोर देता है। बोर्ड की संरचना, उनके कौशल, स्वतंत्रता और विविधता महत्त्वपूर्ण कारक हैं।
- **उद्देश्य:** यह कंपनी के व्यापक मंशिन और लक्ष्यों को संदर्भित करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी का उद्देश्य नैतिक मानकों के अनुरूप हो तथा शेयरधारकों एवं हतिधारकों के लिये दीर्घकालिक मूल्य बनाने पर केंद्रित हो।
- **प्रक्रियाएँ:** इस 'P' में कंपनी की देखरेख और प्रबंधन के लिये स्थापित सिस्टम तथा प्रक्रियाएँ शामिल हैं। गवर्नेंस प्रक्रियाओं में यह शामिल है कि निर्णय कैसे लिये जाते हैं, जोखिम का मूल्यांकन एवं प्रबंधन कैसे किया जाता है व जवाबदेही कैसे बनाए रखी जाती है।
- **अभ्यास:** कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रदर्शन नैतिक मानकों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कंपनी की समग्र सफलता से संबंधित है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क स्थापित मानकों के वरिद्ध कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन करता है।



कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमुख घटक

■ नदिशक मंडल:

○ संरचना और स्वतंत्रता:

- नदिशकों की संख्या कंपनी के आकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। यदि यह एक सार्वजनिक कंपनी है तो नदिशक मंडल में **कम-से-कम तीन नदिशक** होने चाहिये, यदि यह एक **नजी कंपनी** है तो **दो नदिशक और एक व्यक्तिवाली कंपनी में एक नदिशक** होना चाहिये। कोई कंपनी नदिशक के रूप में सदस्यों की अधिकतम संख्या **पंद्रह** रख सकती है।
- प्रत्येक कंपनी के बोर्ड द्वारा **कम-से-कम एक नदिशक नियुक्त किया जाएगा**, जो पछिले वर्ष के न्यूनतम 182 दिनों के लिये भारत में रहा हो, यह एक अनिवार्य नियम है।
- कंपनी द्वारा **कम-से-कम एक महिला नदिशक** की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिये। सभी सूचीबद्ध कंपनियों के नदिशक मंडल का **कम-से-कम एक तहार्ई हस्सिा स्वतंत्र नदिशकों के रूप में होना चाहिये**।

○ बोर्ड समतियिऱँ:

- बोर्ड समतियिऱँ नदिशक मंडल के उप-समूह हैं जो ज़मिमेदारी के वशिषिट क्शेत्तूरों पर ध्यान केंद्रति करने के लिये बनाई जाती हैं। प्रत्येक **नदिशक मंडल में समतियिऱँ नहीं होती हैं, लेकिन वे बडे संगठनों में आम हैं**।
- कुछ सबसे सामान्य बोर्ड समतियिऱँ में लेखापरीक्षा समतियिऱँ, क्शतपूर्रति समतियिऱँ और नामांकन समतियिऱँ शामिल हैं।

■ शेयरधारक और हतिधारक:

○ अधिकार एवं उत्तरदायतिव:

- शेयरधारकों को कंपनी के महत्त्वपूर्ण नर्रिणयों पर वोट देने का अधिकार है, जैसे **नदिशक मंडल का चुनाव करना, वलिय और अधगिरहण को मंजूरी देना तथा कंपनी के नगिमन के लेखों में बदलाव करना**।
- उन्हें लाभांश प्राप्त करने और कंपनी की पुस्तकों तथा रकिऱँर्डों का नरीकषण करने का भी अधिकार है।

○ अल्पसंख्यक शेयरधारक संरक्षण:

- अल्पसंख्यक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक होते हैं जिनके पास **कंपनी के 50% से कम शेयर** होते हैं और नगिम पर उनका पूर्ण नर्रितरण नहीं होता है।
- हालाँकि उनके पास अभी भी वोट देने का अधिकार है और वे **नदिशकों और अधिकारयिऱँ को उनके कार्यों के लिये जवाबदेह ठहरा सकते हैं, जसिसे अंततः अधिक दक्शता आती है और वतितीय रटिरन बढ़ता है**।

■ प्रकटीकरण और पारदर्शति:

○ वतितीय जानकारी साझा करना:

- यह हतिधारकों को वतितीय जानकारी प्रकट करने की प्रक्रया है। इसमें वतितीय ववरिण जैसे बैलेंस शीट आय ववरिण और नकदी प्रवाह ववरिण तैयार करना शामिल है।
- वतितीय जानकारी वभिन्न लेखांकन मानकों जैसे आम तौर पर **स्वीकृत लेखांकन सदिधांतों (Generally**

○ गैर-वित्तीय प्रकटीकरण:

- गैर-वित्तीय प्रकटीकरण (disclosure) से तात्पर्य उस जानकारी के प्रकटीकरण से है जो सीधे तौर पर किसी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। इसमें किसी कंपनी की [पर्यावरण, सामाजिक और शासन \(Environmental, Social, and Governance - ESG\)](#) प्रथाओं के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) लक्ष्य क्या हैं?

- ESG लक्ष्य कंपनी के संचालन के लिये मानकों का एक समूह है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं, पर्यावरण के अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिये मजबूर करता है।
 - पर्यावरणीय मानदंड इस बात पर विचार करते हैं कि एक कंपनी प्रकृति के प्रबंधक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है।
 - सामाजिक मानदंड जाँच करते हैं कि यह कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों और उन समुदायों के साथ संबंधों का प्रबंधन कैसे करता है जहाँ ये क्रियान्वित हैं।
 - शासन एक कंपनी के नेतृत्व, कार्यकारी वेतन, लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारक अधिकारों से संबंधित है।
- यह गैर-वित्तीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो नविश नरिणियों के मार्गदर्शन के लिये एक पैमाने के रूप में है, जिसमें वित्तीय प्रतिलाभ में वृद्धि अब नविशकों का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
- वर्ष 2006 में '[यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिसिपॉन्सिबल इनवेस्टमेंट](#)' (United Nations Principles for Responsible Investment - UNPRI) की शुरुआत के बाद से ESG ढाँचे को आधुनिक व्यवसायों की एक अटूट कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।
- भारत में एक मजबूत [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व \(Corporate Social Responsibility- CSR\)](#) नीति है जो यह अनिवार्य करती है कि निगम समाज के कल्याण में योगदान देने वाली पहलों में शामिल हों।
 - भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में CSR को [कॉर्पोरेट लोक-कल्याण की भावना](#) के रूप में देखा जाता है जिसमें निगम सरकार की पहल का समर्थन करने के लिये सामाजिक विकास को बढ़ाते हैं और यह कॉर्पोरेट प्रशासन के साथ [सुशासन](#) की अवधारणा को भी सकिरनाइज़ करते हैं।

भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये नियामक ढाँचा

- नियामक ढाँचे का विकास:
 - कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिये नियामक प्राधिकरण:
 - [कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय \(Ministry of Corporate Affairs- MCA\)](#) तथा [भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड \(Securities and Exchange Board of India- SEBI\)](#) भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन पहल की देखरेख में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
 - उनकी ज़िम्मेदारियों में [नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुनिश्चित करने और हतिधारकों के हितों की सुरक्षा](#) के लिये नियम स्थापित करना तथा लागू करना शामिल है।
 - कॉर्पोरेट गवर्नेंस वनिमियमन:
 - 1990 के दशक में वनिमियमक विकास के समय के दौरान, सेबी ने [डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996](#), [भारतीय प्रतभूति और वनिमिय बोर्ड अधिनियम, 1992](#) तथा [सुरक्षा अनुबंध \(वनिमियम\) अधिनियम, 1956](#) सहित महत्त्वपूर्ण कानून बनाकर कॉर्पोरेट प्रशासन को वनिमियमि करने की ज़िम्मेदारी संभाली।
 - औपचारिक नियामक ढाँचे का परिचय:
 - वर्ष 2000 में, सेबी ने [कुमार मंगलम बडिला समिति, 1999](#) की सफारिशों के जवाब में कॉर्पोरेट प्रशासन के लिये पहला औपचारिक नियामक ढाँचा स्थापित किया।
 - इस पहल का उद्देश्य भारत में कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को बढ़ाना और पारदर्शी तथा जवाबदेह व्यावसायिक पहलों के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करना था।
 - गवर्नेंस की पहल:
 - विकास के आधार पर, वर्ष 2002 में एक महत्त्वपूर्ण [कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पहल](#) शुरू की गयी जब [कॉर्पोरेट ऑडिट और गवर्नेंस पर नरेश चंद्र समिति](#) ने वभिन्नि शासन मुद्दों के समाधान के लिये अपनी सफारिशें दीं।
 - उल्लेखनीय उदाहरणों में [भारतीय उद्योग परसिंघ \(Confederation of Indian Industry-CII\)](#), [नेशनल फाउंडेशन फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस \(National Foundation for Corporate Governance - NFCG\)](#) और [इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया \(Institute of Chartered Accountants of India - ICAI\)](#) की स्थापना शामिल है, जो देश में ज़िम्मेदार तथा पारदर्शी कॉर्पोरेट पहलों को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक रूप से काम कर रहे हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013:
 - कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान:
 - इन प्रावधानों में [प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक \(KMP\)](#) की नियुक्ति, [ऑडिट समितियों की भूमिका](#), [स्वतंत्र ऑडिट](#), [संबंधित पार्टी लेन-देन के सख्त वनिमियम](#) और कंपनियों पर प्रतबंध के माध्यम से [कंपनियों पर अधिक जवाबदेही](#) शामिल है।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी प्रासंगिक जानकारी नविशकों और नियामक एजेंसियों के लिये उपलब्ध है, [बोर्ड की रिपोर्ट](#),

वित्तीय वविरण तथा कंपनी रजिस्ट्रार के साथ फाइलिंग सहित प्रकटीकरण अनिवार्य हैं।

- **संशोधन और अद्यतन:**
 - कुछ प्रमुख संशोधनों में कंपनी लॉ बोर्ड को बदलने के लिये [राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण \(National Company Law Tribunal - NCLT\)](#) तथा [राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील न्यायाधिकरण \(National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT\)](#) की स्थापना, साथ ही [दवाला और दवालयीपन संहिता, 2016](#) का कार्यान्वयन शामिल है।
 - सूचीबद्ध इकाई में सीधे या लाभकारी ब्याज के आधार पर **10% या अधिक** इक्विटी शेयर रखने वाली संस्थाओं को शामिल करने के लिये **"संबंधित पार्टी"** की परिभाषा में संशोधन किया गया है।
 - दस करोड़ रुपए या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी वाली कंपनी के मामले में **एक स्वतंत्र नदिशक की नियुक्ति और एक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिये एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता के प्रावधान** के लिये अधिनियम में भी संशोधन किया गया है।
- **राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण:**
 - [राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण \(National Financial Reporting Authority- NFRA\)](#) एक भारतीय नियामक संस्था है जिसने [कंपनी अधिनियम, 2013](#) की धारा 132 के तहत वर्ष 2018 में गठित किया गया था। **NFRA** के करतव्यों में **केंद्र सरकार की मंजूरी के लिये कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियों तथा मानकों की सफ़ाई करना** आदि शामिल है।

नगिमति शासन से संबंधित नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- **चयन प्रक्रिया तथा बोर्ड का कार्यकाल:** भारतीय नगिमति शासन में बोर्ड के सदस्यों के चयन तथा उनके कार्यकाल का अत्यधिक दुरुपयोग किया जाता है। स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये बोर्ड के सदस्यों की पदावधि पर्याप्त होनी चाहिये किंतु इस पदावधि का वसितार इतना नहीं होना चाहिये कि उनके कार्य उनकी आत्मसंतुष्टि से प्रभावित हो जाएँ।
 - उदाहरणार्थ [वर्ष 2016 में टाटा-मसित्री के बीच विवाद](#) स्वतंत्र नदिशकों की नियुक्ति को लेकर साइरस मसित्री तथा टाटा संस बोर्ड के बीच असहमति के कारण हुआ था।
- **नदिशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन:** कंपनी के नदिशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन नगिमति शासन का एक चुनौतीपूर्ण पहलू है। यह सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने तथा बोर्ड के प्रभावी ढंग से कार्य करने की सुनिश्चितता में मदद करता है। हालाँकि मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी तथा वस्तुनिष्ठ होनी चाहिये।
 - उदाहरणार्थ **वर्ष 2018 में SEBI** ने सूचीबद्ध कंपनियों को स्वतंत्र नदिशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के मानदंडों का ब्यौरा प्रदान करने का निर्देश दिया।
- **नदिशकों की स्वतंत्रता का अभाव:** कई मामलों में प्रवर्तकों (Promoters) अथवा प्रबंधन के संबंधों में घनिष्ठता के परिणामस्वरूप नदिशकों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में **ICICI बैंक** के CEO द्वारा उसके पति के लिये एक व्यापार के हिससे के रूप में वीडियोकॉन कंपनी के ऋण को स्वीकृति दी गई जिससे **विवाद** की स्थिति उत्पन्न हुई।
- **स्वतंत्र नदिशकों को हटाना:** नगिमति शासन में स्वतंत्र नदिशकों को हटाना एक गंभीर मुद्दा है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्र नदिशकों को संबंधित मुद्दों के लिये आवज़ उठाने तथा असहमतपूर्ण राय प्रस्तुत करने के आधार पर नहीं हटाया जाए।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में **फोर्टिस हेल्थकेयर** के **स्वतंत्र नदिशक** ने IHH हेल्थकेयर द्वारा कंपनी के अधिग्रहण पर चिंता जताई जिसके परिणामस्वरूप उसे कंपनी के **बोर्ड द्वारा हटा दिया गया**।
- **हतिधारकों के प्रति दायित्व:** कई मामलों में कंपनियों अपने हतिधारकों के हितों के स्थान पर अपने प्रवर्तकों अथवा प्रबंधन के हितों को प्राथमिकता देती हैं।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2019 में [इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिज़ \(IL&FS\)](#) संकट कंपनी के कुप्रबंधन तथा अपने हतिधारकों के प्रति वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में वफिलता के कारण हुआ।
- **संस्थापक/प्रवर्तक की व्यापक भूमिका:** कंपनी के अभिशासन में संस्थापक अथवा प्रवर्तक की भूमिका में संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालाँकि उनका दृष्टिकोण तथा नेतृत्व कंपनी के लिये लाभकारी हो सकता है किंतु उनकी व्यापक भूमिका से हितों का टकराव एवं पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2019 में **SEBI** ने **कंपनियों को** बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में संस्थापक अथवा प्रवर्तक की नियुक्ति के कारणों का ब्यौरा प्रदान करने का **निर्देश दिया**।
- **पारदर्शिता तथा डेटा सुरक्षा:** पारदर्शिता की कमी तथा अपर्याप्त डेटा सुरक्षा हानिकारक नगिमति प्रथाएँ हैं। उन्हें संवेदनशील डेटा तथा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिये।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में [भारतीय रिज़र्व बैंक \(RBI\)](#) ने बैंकों को अपने ग्राहकों के डेटा तथा जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
- **व्यावसायिक संरचना तथा आंतरिक संघर्ष:** नगिमत क्षेत्र में व्यावसायिक संरचना तथा आंतरिक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। हितों के टकराव से बचने के लिये कंपनियों के पास एक सुस्पष्ट तथा सुव्यवस्थित रूप से परिभाषित व्यावसायिक संरचना होनी चाहिये। उनके पास आंतरिक संघर्षों का समाधान करने के लिये एक समरूपित तंत्र की भी आवश्यकता है।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2019 में [इंडिगो एयरलाइंस](#) के बोर्ड में अपने CEO की नियुक्ति को लेकर सार्वजनिक विवाद हुआ, जिसके कारण कंपनी के नगिमति शासन के संबंध में चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
- **हितों का टकराव:** शेयरधारकों की परवाह किये बिना प्रबंधकों द्वारा संभावित रूप से स्वयं को समृद्ध बनाने की चुनौती नगिमति शासन में एक

महत्त्वपूर्ण मुद्दा है।

◦ उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में SEBI ने कंपनियों को संबंधित पार्टी लेन-देन के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया।

- **कमज़ोर प्रबंधन बोर्ड:** बोर्ड के सदस्यों में अनुभव और पृष्ठभूमि की विविधता की कमी, बोर्डों के लिये कमज़ोर कारक के रूप में कार्य करती है। कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिये उनके बोर्ड के सदस्यों की पृष्ठभूमि तथा अनुभव विविध हों।
 - उदाहरणार्थ वर्ष 2018 में SEBI ने कंपनियों को अपने बोर्ड में कम-से-कम एक महिला नदिशक की नियुक्ति का निर्देश दिया।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग:**
 - **इनसाइडर ट्रेडिंग** का आशय कंपनी के अंदरूनी सूत्र, जैसे- अधिकारी, नदिशक आदि द्वारा गोपनीय जानकारी के माध्यम से वैयक्तिक लाभ अर्जित करना है। SEBI के अंतर्गत एक सुदृढ़ अनुवेषण तंत्र तथा सतर्क दृष्टिकोण के अभाव के परिणामस्वरूप ये समस्या वर्तमान में प्रचलन में है जिससे अपराधी स्वयं को कानून से बचाने में सक्षम हो जाते हैं।

नगिमति शासन में कनि सुधारों की आवश्यकता है?

- **बोर्ड की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना:**
 - पर्याप्त संख्या में **स्वतंत्र नदिशकों** के साथ एक संतुलित बोर्ड संरचना सुनिश्चित करना जो नषिपक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने में सहायक की भूमिका नभिए।
 - **बोर्ड के प्रदर्शन** तथा नदिशक के वैयक्तिक प्रभावशीलता का समय-समय पर **मूल्यांकन** करना।
 - **इंफोसिस** को अमूमन भारत में **नगिमति शासन के लिये एक बेंचमार्क** के रूप में उद्धृत किया जाता है। उक्त कंपनी के पास एक सुदृढ़ बोर्ड संरचना है जिसमें अधिकांश रूप से स्वतंत्र नदिशक मौजूद हैं।
- **पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण में वृद्धि:**
 - हतिधारकों को सटीक तथा समय पर जानकारी प्रदान करने के लिये **सुव्यवस्थित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं** का कार्यान्वयन करना।
 - कंपनी के प्रदर्शन का समग्र दृष्टिकोण देने के लिये गैर-वित्तीय जानकारी जैसे **ESG कारकों** का प्रकटीकरण करना।
 - टाटा ग्रुप की धारक कंपनी **टाटा संस** का पारदर्शिता तथा शासन मानदंडों के अनुपालन का इतिहास रहा है। वर्ष 2016 में साइरस मसित्री को अध्यक्ष पद से हटाने तथा उसके बाद की कानूनी लड़ाइयों ने शासन सिद्धांतों के प्रति कंपनी की प्रतबिद्धता को उजागर किया।
- **शेयरधारकों को सशक्त बनाना:**
 - विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण मत प्रदान करने के दौरान **शेयरधारकों को सुदृढ़ निर्णय लेने में मदद प्रदान करने हेतु परोक्षी/प्रॉक्सी परामर्श सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना।**
 - बोर्ड तथा प्रबंधन को उनके कार्यों के लिये उत्तरदायी बनाने के लिये **सक्रिय शेयरधारक आचरण** को बढ़ावा देना।
- **प्रभावी जोखिम प्रबंधन:**
 - व्यवसाय के संभावित खतरों का सक्रिय रूप से समाधान सुनिश्चित करते हुए **जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रबंधन के लिये एक समर्पित समिति** की स्थापना करना।
 - उभरते जोखिमों तथा कमज़ोरियों का निवारण करने के लिये **नियमिती रूप से जोखिमों का मूल्यांकन** करना।
- **नैतिक आचरण तथा अनुपालन:**
 - सभी कर्मचारियों तथा हतिधारकों के लिये अपेक्षित व्यवहार एवं नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक **व्यापक आचार संहिता** की रूपरेखा तैयार कर उसे कार्यान्वयित करना।
 - प्रतशोध की चिता से मुक्त होकर कंपनी के अनैतिक प्रथाओं की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिये एक सुदृढ़ व्हिसलब्लोअर (परदाफाश करना) तंत्र कार्यान्वयित करना।
- **कार्यकारी मुआवज़ा नीतियाँ:**
 - कंपनी के **प्रदर्शन के आधार पर कार्यकारी मुआवज़े** को संरक्षित करना ताकि अधिकारियों को सतत् विकास के लिये प्रेरित किया जा सके।
 - उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हुए **शेयरधारकों को कार्यकारी क्षतपूर्ति संरचनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताना।**
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR):**
 - व्यवसाय संचालन में सामाजिक रूप से उत्तरदायी प्रथाओं को एकीकृत करना तथा व्यापक सामाजिक कल्याण के लिये कंपनी की प्रतबिद्धता को प्रदर्शित करने के लिये CSR गतिविधियों का खुलासा करना।
- **बोर्ड प्रशिक्षण एवं विकास:**
 - **बोर्ड के सदस्यों को** उद्योग के रुझानों, नियामक परिवर्तनों तथा शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में अद्यतन रखने के लिये नियमिती रूप से **प्रशिक्षण प्रदान करना।**
 - नरिंतरता तथा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये कंपनी के प्रमुख पदों पर नियुक्ति हेतु एक **सुदृढ़ उत्तराधिकार योजना** विकसित करना।
- **वनियामक अनुपालन:**
 - सभी प्रासंगिक कानूनों तथा वनियमों का **अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये नियमिती अंकेक्षण** करना।
 - नियामक अधिकारियों द्वारा नरिधारित कंपनी के स्थापित **नगिमति शासन कूट तथा दशिया-नरिदेशों** का अनुपालन करना।
- **हतिधारकों के साथ जुड़ाव:**
 - विश्वास तथा पारदर्शिता बनाने के लिये शेयरधारकों, कर्मचारियों एवं ग्राहकों सहित **हतिधारकों के साथ मुक्त संचार** प्रथाओं को बढ़ावा देना।
 - **हतिधारकों की चिताओं तथा अपेक्षाओं का समाधान करने के लिये सक्रिय रूप से उनका फीडबैक प्राप्त कर उन पर विचार करना।**
 - **महदिरा एंड महदिरा** को नैतिक व्यावसायिक आचरण तथा स्थिरता के प्रति अपनी प्रतबिद्धता के लिये जाना जाता है। कंपनी की शासन पद्धतियाँ **हतिधारक सहभागिता और जोखिम प्रबंधन** पर केंद्रित हैं।

नगिमति शासन से संबंधित समिति की रिपोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय क्या हैं?

- **कोटक पैनल रिपोर्ट:** उदय कोटक की अध्यक्षता में SEBI द्वारा गठित पैनल ने वर्ष 2017 में कंपनियों के नगिमति शासन मानकों में सुधार के लिये कई परिवर्तनों का सुझाव दिया जो नमिनलखिति हैं:
 - बोर्ड का अध्यक्ष कंपनी के **प्रबंध नदिशक/CEO** का पद ग्रहण नहीं कर सकता है।
 - बोर्ड में नदिशकों की न्यूनतम संख्या छह होनी चाहिये। इनमें से **50% स्वतंत्र नदिशक** होने चाहिये जिनमें स्वतंत्र नदिशक के रूप में न्यूनतम एक महिला भी शामिल हो।
 - **स्वतंत्र नदिशकों के लिये न्यूनतम अरहता** अनविर्य करना तथा उनके प्रासंगिक कौशल का प्रकटीकरण करना।
 - **कंपनी तथा संबंधित परिवर्तकों के बीच जानकारी साझा करने के लिये** एक औपचारिक मंच विकसित करना।
 - सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का संचालन **नोडल मंत्रालयों के स्थान पर सूचीबद्धता नयिमों** द्वारा शासित किया जाना चाहिये।
 - खामियों पाए जाने पर **लेखापरीक्षकों को दंडित किया जाना** चाहिये।
 - SEBI के पास **वहसिलबलोअरस** (सूचना प्रदाता/सचेतक) को **उनुमुक्ता प्रदान** करने अधिकार होना चाहिये। कंपनियों को वार्षिक रिपोर्ट में मध्यम से दीर्घकालिक व्यापार रणनीति का खुलासा करना चाहिये।
- **टी.के. वशि्वनाथन समिति:** नषिपक्ष बाज़ार आचरण के संबंध में टी.के. वशि्वनाथन समिति की अनुशंसाएँ, जसिने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जसिमें नमिनलखिति अनुशंसाएँ की गई:
 - इनसाइडर ट्रेडिंग के संबंध में की गई अनुशंसाओं के बीच, **दो पृथक आचार संहिता** की स्थापना पहला सुझाव था।
 - सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा आंतरिक जानकारी की सुरक्षा के लिये न्यूनतम मानक।
 - मूल्य-संवेदनशील जानकारी से संबंधित बाज़ार, मध्यस्थों और अन्य के लिये मानक।
 - कंपनियों को नामित व्यक्तियों के ऐसे **नातेदारों का वविरण रखना चाहिये** जिनके साथ वह कंपनी की संवेदनशील जानकारी या ववित्तीय लेन-देन संबंधी जानकारी को साझा कर सकता है।
 - ऐसी सभी **जानकारियों को कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुरक्षित रखा जा सकता है** और इन्हें किसी भी मामले से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिये SEBI के साथ भी साझा किया जा सकता है।
 - समिति ने **टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरणों को टैप करने के लिये SEBI को प्रत्यक्ष अधिकार देने की सफारिश** की जसिका उद्देश्य इनसाइडर ट्रेडिंग तथा अन्य धोखाधड़ी की जाँच करना है।
 - वर्तमान में SEBI को केवल मोबाइल या टेलीफोन नंबर और कॉल अवधि सहित कॉल रिकॉर्ड मांगने का ही अधिकार है।
- **कुमार मंगलम बडिला समिति रिपोर्ट, 2000:**
 - **रिपोर्ट की कुछ प्रमुख अनुशंसाएँ इस प्रकार हैं:**
 - अध्यक्ष और CEO की पृथक भूमिकाओं का स्पष्टीकरण करना।
 - नदिशक मंडल में स्वतंत्र नदिशकों की नियुक्ति करना।
 - ववित्तीय रिपोर्टिंग के अनुवीक्षण हेतु एक लेखापरीक्षा समिति की स्थापना करना।
 - कंपनियों को अपने ववित्तीय तथा गैर-ववित्तीय प्रदर्शन की जानकारी साझा करने की आवश्यकता।
 - नदिशकों तथा वरषिठ प्रबंधकों के लिये आचार संहिता की स्थापना।
- **सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय:**
 - **सत्यम कंप्यूटर सर्वसिज़ लमिटिड धोखाधड़ी (2009):**
 - सत्यम के संस्थापक और अध्यक्ष, रामलिंग राजू ने कंपनी के ववित्तीय वविरणों में फेर बदल कर प्रस्तुत करने तथा लेखांकन धोखाधड़ी में शामिल होने की बात स्वीकार की।
 - सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से सत्यम के बोर्ड और प्रबंधन का पुनर्गठन हुआ तथा सुदृढ़ नगिमति शासन तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
 - **SEBI बनाम सहारा (2012):**
 - सहारा मामले में **वैकल्पिक रूप से पूर्ण संपरवर्तनीय डबिंचर (Optionally Fully Convertible Debentures-OFCD)** जारी करने को लेकर SEBI तथा सहारा ग्रुप के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने नविशकों के हतियों की रक्षा तथा प्रतभित्ता कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के महत्त्व पर ज़ोर दिया। इस नरिणय के परगामस्वरूप कंपनी की धन जुटाने की प्रथाएँ प्रभावित हुईं।

आगे की राह

भारत में नगिमति शासन के बहुमुखी पहलुओं को संबोधित करने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जसिमें कानूनी सुधार, नयिमक संवर्द्धन तथा नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के प्रतसांस्कृतिक बदलाव शामिल हैं। नविशकों के वशि्वस को बनाए रखने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये उभरते वैश्विक मानकों का नरितर अनुवीक्षण एवं उनका अंगीकरण आवश्यक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. सत्यम कलंकपूर्ण कार्य (2009) के प्रकाश में कॉर्पोरेट शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिये किये गए परिवर्तनों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. 'शासन', 'सुशासन' और 'नैतिक शासन' शब्दों से आप क्या समझते हैं? (2016)

